न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ाा0पत्र संख्या–42/2024

ाा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–16.07.2024

र्णय दिनांक–08.01.2025

ानाराम बैरवा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम दौताना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की भूमि आराजी ख0न0 153, 3, 405, 406, 407, 417/3, 612, 613, 682, 683 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8820 हैक्ट. वाके ग्राम दौताना, ावार हल्का जौला व भूमि आराजी ख0न0 148, 149, 93 कुल किता 03 कुल रकबा 3.3257 हैक्ट. वाके ग्राम ीपुरा, पटवार हल्का डूंसरी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हो रखा है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित राजीयात में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र सुखेदवा जाति बैरवा अंकित कर रखा है। जबकि प्रार्थी का सही वास्तविक नाम कानाराम बैरवा पुत्र सुखेदव जाति बैरवा है। प्रार्थी के पिता का काफी वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो ा है तथा उस समय पिता की विरासत का नामान्तकरण भरवाते समय प्रार्थी के घर पर पुकारे जाने वाले नाम हैयालाल को ही दर्ज करवा दिया गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता चान पत्र, पेन कार्ड आदि सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम कानाराम बैरवा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा सही रूप अंकित हो रखा है। लेकिन उक्त ग्राम दोताना के खाता संख्या 168 व ग्राम शफीपुरा के खाता संख्या 125 में र्थी का नाम गलत रूप से कन्हैयालाल पुत्र सुखदेवा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर र्थी का सही नाम कानाराम बैरवा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा दर्ज करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय त्रुटी के कारण हुई है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः ादन मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 153, 403, 405, 406, 407, 417/3, 612, 613, , 683 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8820 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला व भूमि आराजी ख0न0 148, 149, 93 कुल

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ा 03 कुल रकबा 3.3257 हैक्ट. वाके ग्राम शफीपुरा, पटवार हल्का डूंसरी में स्थित आराजीयात में प्रार्थी का
त रूप से दर्ज नाम कन्हैयालाल पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा के स्थान पर सही नाम कानाराम पुत्र सुखदेवा
ति बैरवा अंकित करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी सीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दन किया की ग्राम दौताना के खाता संख्या 168 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8820 हैक्ट. खातेदार हैयालाल पुत्र सुखदेव हि. 1/5 जाति बैरवा सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं जमाबंदी ग्राम शफीपुरा के ता संख्या 125 कुल किता 03 कुल रकबा 3.32517 हैक्ट. मं खातेदार कन्हैयालाल पुत्र सुखदेवा हि. 1/5 दर्ज ॉर्ड है। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबंदी मे कानाराम पुत्र सुखदेव के स्थान कन्हैयालाल पुत्र देव दज हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, ग्राम पंचायत जौला का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र सुखदेव जाति बैरवा है। कानाराम पुत्र सुखदेवा व हैयालाल पुत्र सुखदेवा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। वक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 , 403, 405, 406, 407, 417/3, 612, 613, 682, 683 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8820 हैक्ट. वाके ग्राम ाना, पटवार हल्का जौला व भूमि आराजी ख0न0 148, 149, 93 कुल किता 03 कुल रकबा 3.3257 हैक्ट. वाके शफीपुरा, पटवार हल्का डूंसरी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा राजस्व ॉर्ड में दर्ज हो रखा है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित ाजीयात में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र सुखेदवा जाति बैरवा अंकित कर रखा है। जबकि प्रार्थी का सही वास्तविक नाम कानाराम बैरवा पुत्र सुखेदव जाति बैरवा है। प्रार्थी के पिता का काफी वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो ा है तथा उस समय पिता की विरासत का नामान्तकरण भरवाते समय प्रार्थी के घर पर पुकारे जाने वाले नाम हैयालाल को ही दर्ज करवा दिया गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता चान पत्र, पेन कार्ड आदि सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम कानाराम बैरवा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा सही रूप अंकित हो रखा है। लेकिन उक्त ग्राम दोताना के खाता संख्या 168 व ग्राम शफीपुरा के खाता संख्या 125 में र्थी का नाम गलत रूप से कन्हैयालाल पुत्र सुखदेवा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर र्थी का सही नाम कानाराम बैरवा पुत्र सुखदेव जाति बैरवा दर्ज करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय त्रुटी के कारण हुई है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः दन मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 153, 403, 405, 406, 407, 417/3, 612, 613, , 683 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8820 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला व भूमि आराजी ख0न0 148, 149, 93 कुल ा 03 कुल रकबा 3.3257 हैक्ट. वाके ग्राम शफीपुरा, पटवार हल्का डूंसरी में स्थित आराजीयात में प्रार्थी का त रूप से दर्ज नाम कन्हैयालाल पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा के स्थान पर सही नाम कानाराम पुत्र सुखदेवा ति बैरवा अंकित करवाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की ग्राम दौताना के खाता संख्या 168 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8820 हैक्ट. खातेदार कन्हैयालाल पुत्र सुखदेव हि. 1/5 जाति बैरवा सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है वं जमाबंदी ग्राम शफीपुरा के खाता संख्या 125 कुल किता 03 कुल रकबा 3.32517 हैक्ट. में खातेदार न्हैयालाल पुत्र सुखदेवा हि. 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबंदी में कानाराम पुत्र ुखदेव के स्थान कन्हैयालाल पुत्र सुखेदव दज हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, ग्राम पंचायत जौला का माण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड एवं शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र सुखदेव जाति रवा है। कानाराम पुत्र सुखदेवा व कन्हैयालाल पुत्र सुखदेवा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा शपथ पत्र प्रार्थी, कार्यालय ग्राम पंचायत जौला का माण पत्र, आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान त्र, राशन कार्ड की स्लिप, शपथ पत्र रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम जौला, जगदीश पुत्र नाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम दौताना व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की स पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी का शुद्ध नाम कानाराम पुत्र सुखदेव जाति वा है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 153, 403, 405, 406, 407, 417/3, 612, 613, 682, 683 कुल किता 10 ल रकबा 3.8820 हैक्ट. वाके ग्राम दौताना, पटवार हल्का जौला व भूमि आराजी ख0न0 148, 149, 93 कुल ता 03 कुल रकबा 3.3257 हैक्ट. वाके ग्राम शफीपुरा, पटवार हल्का डूंसरी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हैयालाल पुत्र सुखेदवा जाति बैरवा दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व कॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **कन्हैयालाल पुत्र सुखेदवा** के स्थान पर **कानाराम पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा खवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार तर दाखिल हो।

(अनिता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner